झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :— केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 4030.83 लाख (चालीस करोड़ तीस लाख तेरासी हजार) रु० की लागत पर स्वीकृत देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

5108
09/08/17

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना का सूत्रण किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 4030.83 लाख (चालीस करोड़ तीस लाख तेरासी हजार) रु० है, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है। तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना के दिशा—निर्देश के आलोक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

2. वर्तमान में देवघर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 39451 घरों से 82 KLD सेप्टेज का उत्सर्जन होता है। वर्ष 2032 तक देवघर नगर निगम क्षेत्र में घरों की संख्या लगभग 48669 हो जाने की संभावना है, जिससे अनुमानतः 101 KLD सेप्टेज का उत्सर्जन होगा। इस आधार पर परियोजना हेतु 101 KLD क्षमता के Septage Treatment Plant (SeTP) का अधिष्ठापन प्रस्तावित किया गया है।

3. सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत घरों से उत्सर्जित होने वाले सेप्टेज को वैज्ञानिक विधि से Recycle कर पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणो में क्रियान्वित किया जा सकेगा :

3.1 **Collection :** इसके अंतर्गत घरों के सेप्टिक टैंक में जमा सेप्टेज को Vehicle mounted super sucker/ Vaccum machines के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा।

3.2 **Transportation :** घरों के सेप्टिक टैंक से संग्रह किये गए सेप्टेज को निर्धारित रास्ते से वाहन द्वारा SeTP तक पहुँचाया जायेगा।

3.3 **Treatment :** SeTP के अंतर्गत सेप्टेज को दो चरणों में MBBR (Moving Bed Bio Film Reactor) तकनीक से Treatment किया जायेगा। प्रथम चरण में Sludge treatment होगा एवं द्वितीय चरण में Supernatant का Treatment किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सेप्टेज में मौजूद सभी हानिकारक तत्व अप्रभावी हो जायेंगे।

3.4 **Disposal :** Treated Waste Water को विभिन्न कार्यों यथा— बागवानी, वाहन धुलाई, निर्माण कार्य इत्यादि में पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। Septage Treatment के उपरांत बचे हुए ठोस पदार्थ को Compost के रूप में कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

4. उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित SeTP निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड देवघर नगर निगम के पास उपलब्ध है।

5. अमृत योजना के दिशा—निर्देशिका की कंडिका—5 के उपकंडिका—5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख—रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय—सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए गिरिडीह सेप्टेज प्रबंधन योजना हेतु तैयार किए गए Standard Bid Document (10 वर्षों का रख—रखाव सन्निहित) का उपयोग किया जायेगा।

6. उक्त परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR में निम्नलिखित अवयवों को प्रस्तावित किया गया है:–

Sl. No.	Particulars	Amount (in Lakhs)
1	**PART - "A"**	
	SEPTAGE CLEARANCE AND COLLECTION (Including Sewage Vaccum Truck and Appurtenance works)	200.25
	SEPTAGE TREATMENT (Including Construction of SeTP)	146.83
	DISMANTLING AND REPAIR WORK (Septic Tanks)	261.68
2	**PART - "B"**	
	CONSTRUCTION, PROVIDING SERVICES AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE BLOCK (including office, staff quarter, laboratory, etc.)	145.60
3	**PART - "C"**	
	MISCELLANEOUS WORKS (including Boundary Wall of premises, Shed for Sludge cake/Chemical Storage/Parking lot/MBBR package plant/centrifuge, Construction of DG and Transformer room, GPS Tracking System Expenses, etc.)	105.23
4	**PART - "D"**	
	ELECTRICAL WORKS (including providing, erection and commissioning of 10 KM electric cable, Transformer, DG Set, LT Cable, UPS, Lighting, etc)	98.72
5	**Sub-Total (1+2+3+4)**	**958.31**
6	Labor Cess @ 1%	9.58
7	**Sub-Total (5+6)**	**967.89**
8	**PART - "E"**	
	Cost of ESAMP - Environmental & Social Assessment With Management Plan as per World Bank guidelines.	2.70
9	**JUIDCO Charges (Centage)** (योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	67.08
10	Charges for preparation of DPR and PMC	41.71
11	IEC Public outreach charges @ 1.5% of S. No. 5	14.37
12	**Sub Total - CAPEX (7+8+9+10)**	**1093.76**
13	**PART - "F"**	
	Annual Operation & Maintenance Cost (10 year) (including Cost of Fuel, Repair, Renewal and insurance Cost of Machineries, Maintenance Cost Civil/Electrical/Mechanical Works, Manpower Cost, Safety Tools, Power and Energy Cost, etc.) **(OPEX)**	**2937.07**
	Grand Total (in Lakhs) (12+13)	**4030.83**

5108
09/08/17

7. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत राशि (CAPEX) रु॰ 1093.76 लाख (दस करोड़ तिरानबे लाख छिहत्तर हजार) है एवं रख–रखाव की राशि (OPEX) रु॰ 2937.07 लाख (उनतीस करोड़ सैंतीस लाख सात हजार) है। अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :–

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share	
				14th F.C.	Others
Deoghar Septage Management Project	1093.76	546.88	328.13	175.00	43.75

8. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप मे देय होगा। अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए State Annual Action Plan (SAAP) के अनुसार निकाय अंश का 80%, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।

9. उपर्युक्त परियोजना के रख–रखाव में (10 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत 'सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' से किया जायेगा। *(मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–12–सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)।*

10. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

11. देवघर नगर निगम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में परियोजना के पूंजीगत व्यय (CAPEX) से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन जुडको लि॰ द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् जुडको लि॰ द्वारा परियोजना देवघर नगर निगम को हस्तांतरित कर दी जाएगी। रख–रखाव व्यय (OPEX) से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन देवघर नगर निगम के स्तर से किया जायेगा।

12. परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 10 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

    क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।

    ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।

    ग) रख–रखाव अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित उपभोग शुल्क (User Charges) का भुगतान उपभोक्ता द्वारा संवेदक को किया जायेगा।

    घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

13. क्रमांक–6 में अंकित DPR की कुल राशि रु॰ 4030.83 लाख (चालीस करोड़ तीस लाख तैरासी हजार) की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है।

14. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2017 में मद संख्या 5 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6.8.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Deoghar Septage-49/2017..5108.. राँची, दिनांक–09/08/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Deoghar Septage-49/2017..5108.. राँची, दिनांक–09/08/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, संथाल परगणा, दुमका/उपायुक्त, देवघर/नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

6.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।